मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 2722 **भोपाल, दिनांक** 23 **/05/2023**

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे अधिसूचित कृषि उपज की नियमन व्यवस्था के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को "**मंडी समितियो के लिये लागू उपविधि सन 2000**" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 15 जून 2023** तक उपविधि में निम्नानुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें, अर्थात:

क्र.	कंडिका क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2(र)	*(र) **"विवरणीयां"** से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय विक्रय प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित प्रबंध संचालक द्वारा विहित किये गये नियत कालिक विवरण।*	**(र) "विवरणियां" से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा विहित किये गये प्ररूपों में ई-अनुज्ञा पोर्टल पर स्वतः generated नियत कालिक विवरण।**
2	2(ल)	*(ल) **"नियत कालिक अवधि"** से अभिप्रेत विवरणीयां/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में नियत की गई अवधि।*	**(ल) "नियत कालिक अवधि" से अभिप्रेत है ई-अनुज्ञा पोर्टल पर विवरणियां/जानकारी स्वतः generate होने के लिए अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में नियत की गई अवधि।**
3	20(8)	***उपविधि कंडिका 20 - मंडी फीस उद्ग्रहण*** ***20(8)*** *पाक्षिक विवरण पत्रक ग्यारह -'क' एवं ग्यारह-'ख' प्रारूप व्यापारी लायसेंस धारियों के लिये है, बारह-'क' एवं बारह-'ख' प्रारूप प्रसंस्करणकर्ताओं, विनिर्माता के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16 तारीख से*	**उपविधि कंडिका 20 - मंडी फीस उद्ग्रहण** **20(8) पाक्षिक विवरणी व्यापारी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए - प्ररूप ग्यारह (क) एवं प्ररूप ग्यारह (ख), प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता के लिए - प्ररूप बारह (क) एवं प्ररूप बारह (ख) तथा प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता द्वारा केवल स्थापित दाल मिलों के उपयोग के लिये राज्य**

9

		अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होना चाहिए जिस समयावधि का विवरण पत्रक हैं। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी-पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी। पाक्षिक विवरण पत्रकों का मिलान अनुबंध पत्रक बिक्री प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात् 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये गये है तब पन्द्रहवें दिन या उसके पश्चात् ब्याज सहित मंडी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नहीं होने का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस व्यापारी/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विक्रय, प्रसंस्करण या विनिर्माण के पूर्व मंडी फीस जमा / वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण प्रारूप-ग्यारह 'क', 'ख' एवं प्रारूप- बारह 'क', 'ख' में व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन के कॉलम नं० 19 एवं 20 में किया जायेगा। *"परन्तु प्रसंस्करणकर्ताओं, विनिर्माता द्वारा केवल स्थापित दाल मिलों के उपयोग के लिये राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण या विनिर्माण करने के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज उड़द / उरदा, मूंग, तुअर / अरहर, चना, मसूर एवं बटरी के संबंध में प्रारूप बारह-ग एवं बारह-घ में भी पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 01 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक एवं 16 तारीख मास अंत तक का विवरण आगामी माह की 10 तारीख किया जायेगा। प्ररूप बारह-घ में उल्लेखित बिलों की छायाप्रति भी संलग्न की जावेगी। वार्षिक विवरण प्ररूप बारह-ग में 30 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।"* प्रारुप चौदह (क), चौदह (ख) एवं	**के बाहर से मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण या विनिर्माण करने के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, चना, मसूर एवं बटरी के संबंध में प्ररूप बारह (ग) एवं बारह (घ) निर्धारित है।** **वर्तमान में ई-अनुज्ञा प्रणाली प्रवर्त्त होने के उपरांत व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल से ऑनलाइन अनुज्ञा जारी किए जा रहे है। इसके साथ ही ई-अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज के सभी विक्रय संव्यवहार अभिलिखित (Record) किए जा रहे है। अतः पाक्षिक विवरणी के संबंध में निम्नानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -** **(क) ई-अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी के लॉगिन (मंडी सचिव/ मंडी निरीक्षक/ सहायक उपनिरीक्षक के लॉगिन) पर प्रत्येक व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता के लिए पाक्षिक विवरणी {प्ररूप ग्यारह (क), ग्यारह (ख), बारह (क) बारह (ख), बारह (ग) एवं बारह (घ)} सिंगल क्लिक से generate करने का Privilege/ Roll उपलब्ध होगा।** **(ख) ई-अनुज्ञा यूजर (मंडी सचिव/ मंडी निरीक्षक/ सहायक उपनिरीक्षक) द्वारा उक्त (क) अनुसार पाक्षिक विवरणी, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक के पक्ष के लिए माह की 25 तारीख को auto generate हो जाएगी तथा प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम तारीख तक के पक्ष के लिए आगामी माह की 10 तारीख को auto generate हो जाएगी। इस प्रक्रार प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के**

		चौदह (ग) में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल के पूर्व प्रत्येक व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माताओं एवं पक्का आढ़तियां मंडी कृत्यकारी को वार्षिक विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित या प्रसंस्करण या विनिर्माण किये जाने के पूर्व अथवा उसे क्रय किये जाने/प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।	**लिए auto generated पाक्षिक विवरणी का रिकॉर्ड संधारित रखा जाएगा।** **(ग) वाणिज्यिक संव्यवहार में मंडी फीस से छूट हेतु अनुज्ञापत्र की ऑनलाइन पुष्टि की प्रक्रिया में उपविधि कंडिका 20(8) के प्रावधान लागू रहेंगे।** **(घ) पाक्षिकी विवरणी ऑनलाइन generate होने से अनुज्ञप्तिधारी को भौतिक रूप से पाक्षिकी विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्तानुसार auto generated पाक्षिकी अंतिम होगी।** **(ङ) प्रदेश के बाहर से वाणिज्यिक संव्यवहार के क्रम में आयातित कृषि उपज के प्रमाणस्वरूप बिल (प्ररूप बारह (घ) में उल्लेखित) की छायाप्रति संबंधित क्रेता (व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता) द्वारा मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।** **(च) उपविधि प्ररूप चौदह (क), चौदह (ख) एवं चौदह (ग) में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व प्रत्येक व्यापारी/प्रंसस्करणकर्ता, विनिर्माताओं एवं पक्का आढ़तियां मंडी कृत्यकारी को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** **(छ) प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित या प्रसंस्करण या विनिर्माण किये जाने के पूर्व अथवा उसे क्रय किए जाने/प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।**

4	उपविधि में जहाँ-जहाँ पर **पाक्षिक विवरणी जमा करने का उल्लेख है, उक्त संशोधन के उपरांत मंडी अनुज्ञप्तिधारी को पाक्षिक विवरणी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त होगी।**

मंडी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि **संशोधन करने में** असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 **के या उसके** अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किए गए समझे जाएंगे और तदुपरांत **संशोधन दिनांक 15 जून 2023** से मंडी समिति पर आबद्धकर होंगे।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल
भोपाल, दिनांक 23/05/2023

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/ 2723

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराएं।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
5. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। उक्तानुसार संशोधित उपविधि कंडिका 20(8) अनुसार ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किए जाने की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करें। **(प्ररूप ग्यारह -'क', ग्यारह-'ख', बारह-'क', बारह-'ख', बारह-'ग', बारह-'घ' की प्रति संलग्न है।)**
6. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति _________ जिला _________(समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।
7. विधि शाखा/गार्ड फाईल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल